

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1913
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

महाकुंभ, 2025 के दौरान गंगा नदी की जल गुणवत्ता

1913. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने महाकुंभ, 2025 के दौरान गंगा नदी की जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी की थी;
- (ख) यदि हाँ, तो स्थानविशिष्ट पर निगरानी की बारंबारता क्या थी, उसके परिणाम क्या रहे तथा परीक्षण के लिए अपनाए गए महत्वपूर्ण मानदंड क्या थे;
- (ग) क्या आयोजन-पश्चात की स्वच्छता अवसंरचना, ठोस अपशिष्ट निपटान और मलजल प्रबंधन की समीक्षा के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है;
- (घ) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम रहे और कार्यान्वित किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) स्वीकृत, पूर्ण, कार्यान्वयनाधीन और अनुमोदन के लिए लंबित नमामि गंगे परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है; और
- (च) क्या सरकार ने पूर्ण हो चुकी नमामि गंगे परियोजनाओं की प्रभावशीलता, उनके महत्वपूर्ण परिणामों, चिन्हित चुनौतियों और परिणाम मापन के बारे में कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सूचित किया है कि उसने महाकुंभ 2025 के दौरान 12 जनवरी, 2025 से 20 फरवरी, 2025 तक 5 स्टेशनों (सप्ताह में दो बार) पर जल गुणवत्ता की निगरानी की, जिसमें श्रृंगवेरपुर घाट, लॉर्ड कुर्ज़ी ब्रिज, नागवासुकी मंदिर, संगम और डीहा घाट पर पवित्र स्नान (अमृत स्नान) के दिन शामिल थे, जिसमें ऐसे पवित्र स्नान के पूर्व और बाद के दिन भी शामिल थे। इसके अलावा, शास्त्री ब्रिज, सोमेश्वर घाट और दिल्ली पब्लिक स्कूल के नीचे की ओर तीन और जल गुणवत्ता निगरानी स्थान दिनांक 21.02.2025 से प्रभावी हैं, जिससे गंगा नदी के जल की गुणवत्ता के लिए निगरानी स्थानों की संख्या 5 से बढ़कर 8 हो गई है।

उपरोक्त निगरानी के आधार पर तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट के अनुसार, सभी निगरानी स्थानों के लिए पीएच, घुलित ऑक्सीजन (डीओ), जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और फीकल कोलीफॉर्म (एफसी) का औसत मूल्य प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानदंड के लिए संबंधित मानदंडों/अनुमेय सीमाओं के भीतर पाया गया।

प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं के साथ नवीनतम प्रौद्योगिकियों का पता लगाने और उन्हें अपनाने के लिए उद्योग परामर्श करने के बाद महाकुंभ 2025 के लिए एक व्यापक स्वच्छता योजना तैयार की थी:

- i. जवाबदेही और कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, टॉयलेट वेंडर के साथ संविदा में सेवा स्तर बेंचमार्क (एसएलबी) को शामिल किया गया, जिसमें जन शक्ति की तैनाती, सेसपूल संचालन और जेट स्प्रे सफाई को शामिल किया गया।
- ii. मेले के बाद के स्वच्छता उपायों में सभी शौचालयों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करना और हटाना शामिल था। स्वच्छता दल द्वारा स्वच्छतापूर्वक निष्कासन सुनिश्चित किया गया और प्रभावी कीटाणुशोधन तथा अपशिष्ट के निष्प्रभावीकरण के लिए मैलाथियान (5%) और स्लेकड लाइम का उपयोग किया गया।
- iii. मेला क्षेत्र में अपशिष्ट जल (सेप्टेज को छोड़कर) एकत्र करने के लिए लगभग 250 किलोमीटर लंबी अस्थायी जल निकासी लाइनें बिछाई गईं। एकत्रित जल को समर्पित तालाबों में जैव-उपचार तकनीकों के माध्यम से उपचारित किया गया। इन अस्थायी लाइनों को आयोजन के बाद हटा दिया गया और आगामी माघ मेले जैसे भविष्य के आयोजनों में पुनः उपयोग के लिए संग्रहित किया गया, और बाद में तालाबों को फिर से भर दिया गया।
- iv. सेप्टेज उपचार के लिए, मेला परिसर में विभिन्न स्थानों पर 500 केएलडी क्षमता वाले तीन अस्थायी सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) स्थापित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 50 केएलडी क्षमता वाले दो फेकल स्लज उपचार संयंत्र (एफएसटीपी) और 100 केएलडी क्षमता वाला एक एफएसटीपी भी उपयोग में लाया गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद इन सुविधाओं को हटा दिया गया।
- v. आयोजन के बाद की समीक्षाओं से यह पुष्टि हुई कि स्वच्छता और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणालियाँ प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं। इन निष्कर्षों के आधार पर, महाकुंभ 2025 के लिए सुधारात्मक कार्रवाई और योजनागत सुधार लागू किए जा रहे हैं, जिनमें उन्नत पुनः उपयोग रणनीतियाँ, बेहतर कीटाणुशोधन प्रोटोकॉल और स्वच्छता अवसंरचना का सुव्यवस्थित पुनर्नियोजन शामिल है।

(ड): नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए कुल 502 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 323 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, 150 वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं, और 29 निविदा चरण में हैं।

(च): नमामि गंगे मिशन (एनजीएम) के मूल्यांकन हेतु भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई) को तृतीय पक्ष एजेंसी (टीपीए) के रूप में नियुक्त किया गया था। एएससीआई ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें कही हैं:

- i. एनजीएम ने गंगा नदी बेसिन में अपशिष्ट जल उपचार अवसंरचना में काफी वृद्धि की है, जो रिवरफ्रंट और घाट विकास, नदी सतह की सफाई प्रक्रियाओं, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, जैविक कृषि आदि में निवेश के साथ संतुलित है।
- ii. कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण, साथ ही पहलों के समर्थन के लिए सामुदायिक सहभागिता, परियोजनाओं के अन्य प्रमुख योगदानों में से हैं।
- iii. बेसिन राज्यों और स्थानीय निकाय प्रतिष्ठानों के भीतर कार्यक्रमों का विकेन्द्रीकरण और मुख्यधारा में लाना इस कार्यक्रम की विशेषता रही है।
- iv. एएससीआई ने अपने मूल्यांकन में कहा कि एनजीएम ने निरंतर प्रवाह (अविरल धारा) और प्रदूषण रहित प्रवाह (निर्मल धारा) के अपने अधिदेश को प्राप्त करने में अच्छी प्रगति दिखाई है।
- v. मिशन मोड में बड़े पैमाने पर नदी पुनरुद्धार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सफल और अनुकरणीय मॉडल का प्रदर्शन किया है और वैश्विक मान्यता प्राप्त की है।

नमामि गंगे मिशन के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

- i. नए सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान
- ii. सीवेज से संबंधित नेटवर्क के लिए मार्गाधिकार जैसी वैधानिक मंजूरी जारी करना, सड़क बनाने के लिए अनुमति प्राप्त करना, वन और राजस्व विभाग जैसे सक्षम प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना;

इन चुनौतियों का समाधान करने और उनसे निपटने के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) परियोजनाओं की स्थिति की बारीकी से निगरानी करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल रहा है। एनएमसीजी प्रगति का मूल्यांकन करने, संभावित बाधाओं की पहचान करने और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अध्यक्षता में और केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) के माध्यम से नियमित रूप से व्यापक समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

एनजीएम के कार्यान्वयन के मापनीय परिणाम, भारत की नदियों के प्रदूषण मूल्यांकन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्टों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में किए गए मूल्यांकन (2019 और 2021 के आंकड़ों का उपयोग करके) के आधार पर, गंगा नदी पर प्राथमिकता वाले नदी खंड (पीआरएस) इस प्रकार हैं:

- क. उत्तराखंड प्रदूषित खंडों में नहीं आता (बीओडी < 3 मि.ग्रा./ली.);
- ख. उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद से इलाहाबाद और मिर्जापुर से गाजीपुर तक के खंड प्राथमिकता वर्ग V (बीओडी 3-6 मिलीग्राम/लीटर) के अंतर्गत आते हैं;
- ग. बिहार में, बक्सर, पटना, फतवा और भागलपुर के साथ वाले खंड प्राथमिकता वर्ग IV (बी.ओ.डी. 6-10 मिलीग्राम/ली) के अंतर्गत आते हैं;
- घ. झारखंड प्रदूषित खंडों में नहीं आता (बीओडी < 3 मि.ग्रा./ली.);
- ड पश्चिम बंगाल में, बेहरामपुर से हल्दिया तक का खंड प्राथमिकता वर्ग IV (बीओडी 6-10 मिलीग्राम/लीटर) के अंतर्गत आता है।

इसके अलावा, घुलित ऑक्सीजन (डीओ) का मान, जो नदी के स्वास्थ्य का एक संकेतक है, अधिसूचित प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानदंडों की स्वीकार्य सीमा के भीतर पाया गया है और गंगा नदी के लगभग पूरे खंड में नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देने के लिए संतोषजनक है।

वर्ष 2024-25 के दौरान गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे 50 स्थानों तथा यमुना और उसकी सहायक नदियों के किनारे 26 स्थानों पर किए गए जैव-निगरानी के अनुसार, जैविक जल गुणवत्ता (बीडब्ल्यूक्यू) मुख्यतः 'अच्छी' से 'मध्यम' के बीच रही। विविध बेन्थिक मैक्रो-इनवर्टेब्रेट प्रजातियों की उपस्थिति जलीय जीवन को बनाए रखने के लिए नदियों की पारिस्थितिक क्षमता को दर्शाती है।

इसके अलावा, पिछले एक दशक में गंगा नदी में डॉल्फिन की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 में 2,500-3,000 व्यक्तियों की अनुमानित आधार रेखा से, ये संख्या वर्ष 2015 में लगभग 3,500 हो गई और वर्ष 2021-2023 के दौरान किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 6,327 तक पहुँच गई। यह 2009 से दोगुने से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। गंगा बेसिन में, 17 सहायक नदियों में वर्ष 2021-2023 के आकलन ने कई नदियों में डॉल्फिन की उपस्थिति की पुष्टि की, जहाँ पहले उनका रिकॉर्ड नहीं था, जैसे कि रूपनारायण, गिरवा, कौरियाला, बाबई, राप्ती, बागमती, महानंदा, केन, बेतवा और सिंध।
